09-9-2020

पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरोही उपस्थित। गैरसायल जीवाराम पुत्र बलदेवराम जी, जाति– मेघवाल, निवासी– सिन्दरथ, पुलिस थाना अनादरा, जिला– सिरोही उपस्थित। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री भंवर सिंह देवडा उपस्थित, जिन्होनें वकालतनामा पेश किया। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया।

प्रकरण में सहायक अभियोजन अधिकारी एवं गैरसायल के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने बहस के दौरान इस्तागासा में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये जिले से निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल के विरुद्ध धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमों में गैरसायल को गैरसायल को झूठा फंसाया गया है। गैरसायल ने अनुसूचित जाति का गरीब

.....लगातार

नम्बर व तारिख

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:49:30 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकार जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

व्यक्ति है एवं होटल पर नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। गैरसायल के विरुद्ध शांति भंग करने या मारपीट करने का कोई मुकदमा दर्ज नही है, गैरसायल वर्तमान में आपराधिक गतिविधियों मे लिप्त नही है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे।

प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार गैरसायल जीवाराम के विरुद्ध पुलिस थाना, अनादरा में राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत अपराध संख्या 47/15.5.2013, 59/15.5.2015, 80/07.6.2016 व 40/25.4.2020 को दर्ज हुये। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त प्रकरणों में संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें से अपराध संख्या 47/15.5.2013, 59/15.5.2015 व 80/07.6.2016 में संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराते हुए दण्डित किया है। जिनमें से अपराध संख्या 47 दिनांक 15.5.2013 व 59 दिनांक 15.5.2015 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि उक्त अपराध संख्या 47 दिनांक 15.5.2013 व 59/15.5.2015 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 14.10.2014 व 04.5.2019 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(iii) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल अवैध शराब के अपराधों में लिप्त रहा है।

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुऐ गैरसायल जीवाराम पुत्र बलदेवराम जी, जाति– मेघवाल, निवासी– सिन्दरथ, पुलिस थाना अनादरा, जिला– सिरोही को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 15 दिन की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, अनादरा से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के पुलिस थाना क्षेत्र, अनादरा की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस–पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। निर्णय/आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से क्रम हो। निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, अनादरा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(गितेश श्री मालवीया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:49:30 IST
Reason: SelfAttested